केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली – 110067.

दिनांक 16.01.2019

संचिका सं. CICOM/R/2019/00001

सेवा में,
श्रीमती श्वेता कुमारी,

विषय- आयोग को प्रेषित आर.टी.आई. से संबंधित आपके पत्र संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 12.12.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 20.12.2018 को डायराइज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 21.12.2018 .2018 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । आपके आवेदन का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आप केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत द्वितीय अपील दाखिल करना चाहते हैं ।

इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु द्वितीय अपील आवेदन दाखिल करें एवं द्वितीय अपील आवेदन के साथ संबंधित कार्यालय से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

16/1/19

(टी.बी.जे.एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690